तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल पीठ **श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य** उपस्थित– श्री समीर अहमद, श्रीमती पूनम माथुर, अभि0 प्रार्थी श्री श्रीनिवास बेनिवाल, अभिभाषक अप्रार्थी **दिनांक : 17.10.2023** **निर्णय** यह निगरानी राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 17/2012 में पारित निर्णय दिनांक 8–7–2015 के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की गई है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण के पूर्वज नन्नूराम पुत्र नत्थी द्वारा एक वाद उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 विरूद्ध जोरमल टूच्ची उर्फ चुटटी, काला व मुकुन्दी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 27–4–2005 को अप्रार्थीगण के पिता नन्नूराम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादीगण को पाबन्द कर दिया कि वे उपरोक्त भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त में किसी तरह से मजामत नहीं करे और न ही मुन्तकिल करें। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिवादीगण जोरमल, टूच्ची उर्फ चुटटी, काला व मुकन्दी द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की जो निर्णय दिनांक 4–4–2006 द्वारा स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 27–4–2005 को निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण ने मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की, जो दिनांक 2–6–2009 को खारिज कर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दी गई। उनका तर्क है कि इन सब कार्यवाहियों के पश्चात प्रार्थीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि खसरा नम्बर 1270 रकबा 1.62है0 दिनांक 2–6–2010 को खरीद कर कब्जा संभाल लिया। तत्पश्चात अप्रार्थीगण की ओर पुनः एक प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30–9–2011 को प्रस्तुत किया गया। जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की इस्तदुआ की गई। जिस पर प्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये जिन्होंने जवाब प्रस्तुत किया। तत्पश्चात दिनांक 16–11–2011 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1–2 धारा 151 जा0दी0 का खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो निर्णय दिनांक 8–7–2015 द्वारा स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 16–11–2011 निरस्त कर दिया तथा प्रार्थीगण को पाबन्द कर दिया कि वे अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में रूकावट मजामत पैदा नहीं करे व विवादग्रस्त आराजी रहन बय मुन्तकिल न करें। उनका तर्क है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि जब अप्रार्थीगण के पति व पिता द्वारा पूर्व में दावे के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल तक उनके विरूद्ध फैसला हुआ अर्थात् उनका किसी प्रकार कब्जा काश्त नहीं माना गया तथा प्रतिवादीगण को रेकार्डेड खातेदार होने के कारण पाबंद नहीं किया, परन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त निर्णयों को अनदेखा कर अप्रार्थीगण का कब्जा मानते हुए उनके कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत नहीं करने का विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है। उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि एक बार दावे के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार करने के पश्चात राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर ने दिनांक 4—4—2006द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 27—4—2005 को निरस्त कर दिया तथा राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के निर्णय के विरूद्ध माननीय मण्डल के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी दिनांक 2—6—2009 को खारिज कर दी गई, इसके बावजूद अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने मनमाने निर्णय से 2015 में अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त बिना किसी आधार के मान लिया तथा प्रार्थीगण को पाबंद कर दिया जो स्पष्टतया माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। प्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं जिन्हें कानूनन जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8—7—2015 पूर्णतया अविधिक एवं मनमाना होने से निरस्तनीय है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर आक्षेपित निर्णय दिनांक 8—7—2015 निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण ने वाद के लम्बित रहते विवादित आराजी क्रय की है। विवादित आराजी पर बिना कब्जा लिये बिना अधिकार के बयनामा करवाया गया है। प्रार्थी बयनामे की आड में आराजी को रहन, बय आदि करने एवं जबरन कब्जा करने पर उतारू है। मौका कब्जा व वस्तुस्थिति के आधार पर प्रथमदृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। विवादित आराजी पर अप्रार्थी मकान बनाकर रह रहे हैं। धारा 145सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही हुई है एवं प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गई थी। विवादित आराजी से प्रार्थीगण का कोई संबंध नहीं है। विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर न कर निर्णय दिनांक 16—11—2011	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा अप्रार्थी के अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण होकर निरस्तनीय था एवं जिसे निरस्त कर अप्रार्थी की अपील को स्वीकार करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। अंत में उन्होंने आक्षेपित निर्णय दिनांक 8—7—2015 को विधि सम्मत बताते हुए निगरानी सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता का यह तर्क है कि दावे के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार करने के पश्चात राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 4—4—2006 द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 27—4—2005 को निरस्त कर दिया गया तथा राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 2—6—2009 द्वारा खारिज कर दी गई एवं इन सब कार्यवाहियों के पश्चात प्रार्थीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि खसरा नम्बर 1270 रकबा 1.62है0 दिनांक 2—6—2010 को खरीद कर कब्जा संभाल लिया, तो ऐसे में जब अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत पूर्व में माननीय मण्डल तक निर्णय हो चुका है और अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं माना गया तो अप्रार्थीगण की ओर पुनः अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर न कर आक्षेपित निर्णय दिनांक 8—7—2015 द्वारा प्रार्थीगण को पाबन्द करने में विधिक त्रुटि की है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि विवादित आराजी के संबंध में अप्रार्थीगण के पूर्वज नन्नूराम द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27—4—2005 के विरूद्ध प्रतिवादीगण जोरमल आदि द्वारा प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 4—4—2006 स्वीकार कर विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 27—4—2005 को निरस्त कर दिया तथा उक्त निर्णय दिनांक 4—4—2006 के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 2—6—2009 को खारिज कर दी गई। इससे स्पष्ट है कि अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर पूर्व में मण्डल के स्तर तक अंतिम रूप से निर्णय हो चुका है किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर न कर आक्षेपित निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि की है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8—7—2015 निरस्त किया जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य**	